432

I 381/16

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Rahul Singh
Stock Holding Corporation of India Ltd.
S-2 59-18, Hashmi Complex
Club Road, Kachahari Varanasi-221002

29

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP01637939214348O
Certificate Issued Date	:	27-Jan-2016 04:31 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ VARANASI1/ UP-VNS
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL01019694455195060
Purchased by	:	SHREE SAI BABA INFRAPROJECTS Pvt Ltd
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	ARAZI No-432/1, LUCHHEPUR, ATHGAWA, TEHSIL-PINDRA, VARANASI
Consideration Price (Rs.)	:	20,00,000 (Twenty Lakh only)
First Party	:	Smt KISHUNA DEVI
Second Party	:	SHREE SAI BABA INFRAPROJECTS Pvt Ltd
Stamp Duty Paid By	:	SHREE SAI BABA INFRAPROJECTS Pvt Ltd
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,52,850 (One Lakh Fifty Two Thousand Eight Hundred And Fifty only)

-----Please write or type below this line-----

0001968559

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

82AC 506303

विक्रय विलेख

1.	भूमि का प्रकार	: कृषि
2.	वार्ड/ परगना	: अठगांवा
3.	मोहल्ला/ग्राम	: लुच्चेपुर
4.	सम्पत्ति का विवरण	: आराजी नम्बर 432/1
5.	मापन की ईकाई	: हेक्टेयर / एयर
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.1225 हेक्टेयर यानि 122.5 एयर,
7.	सड़क की स्थिति	: कच्चा चकरोड 10 कड़ी

6643
21.1.16

10) श्री साईकालिका ... प्रोजेक्ट [illegible]
पढ़ दिया

पंकज
पंकज ... श्रीवास्तव
... विक्रेता
कलेक्ट्रेट कचहरी-वाराणसी
ला॰नं॰ - 412/014

नि॰ किशुना देवी

ओमप्रकाश पाण्डेय

ओमप्रकाश यादव

आलोक कुमार उपाध्याय

सर्वेश कुमार ...

उपरोक्त साक्षीगण जो भले प्रतीत होते है।
जिनके निशानी अँगूठे चिन्हित किये गये है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

82AC 506305

जे.पी.ए. हाऊसिंग प्रा0लि0 बजरिये निदेशक अम्बरीश चौबे पुत्र स्व0 राजेन्द्र नाथ चौबे निवासी मकान नं0 एस. 12/18-5, पिपरिया पोखरा, तेलियाबाग, शहर वाराणसी।

.... तृतीयपक्ष/पुष्टिकर्ता।

विदित हो कि आराजी नम्बर 432/1 रकबा 122.5 एयर स्थित मौजा लुच्चेपुर, परगना अठ्गांवा, तहसील पिण्डरा, जिला वाराणसी की स्वामिनी प्रथमपक्ष है और बहैसियत स्वामी व भूमिधर अध्यासीन है तथा प्रथमपक्ष का नाम सरकारी अभिलेखों में भूमिधर अंकित है। प्रथमपक्ष को उक्त सम्पत्ति को अन्तरण-विक्रय का अधिकार हासिल है। प्रथमपक्ष को इस समय वास्ते, रोजगार, खरीद करने दीगर जायदाद एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपयो की अत्यन्त आवश्यकता है और बिना किसी अचल सम्पत्ति को बेचें रूपयो का मिलना व जरूरियात का रफा होना सम्भव नही है। लेहाजा हम प्रथमपक्ष जायदाद उक्त को

6644
21-1-16
(10) श्री साईं बाबा इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा० लि०
पहोपा

पंकज
पंकज कुमार श्रीवास्तव
स्टाम्प विक्रेता
कलेक्ट्रेट कचहरी-बाराबंकी
ला०नं० - 412/014

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये ₹.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

82AC 506306

बेचनें की चर्चा एलानियां तरीक पर शुरू किया जिसमें सबसे अन्त में मुबलिग 20,00,000/- (बीस लाख रूपया) में द्वितीयपक्ष खरीदने के लिए तैयार व रजामंद है, वलिहाज बाजार भाव व मौका के बहुत ही मुनासिब कीमत है इतना या इससे ज्यादा कीमत कोई दीगर व्यक्ति देने को तैयार व रजामंद नही है लेहाजा हम प्रथमपक्ष को भी कुबूल व मंजूर है। लेहाजा हम पक्षगण बदुरूस्ती होश व हवास बिला किसी दबाब नाजायज के वखुशी वरजामंदी यह विक्रय पत्र लिखकर स्वयं व वारिसान व कायम मुकामान को पाबन्द शरायत जैल के करता व होता है:-

1. यह कि द्वितीयपक्ष द्वारा विक्रीत सम्पत्ति का विक्रय मूल्य मुबलिग 20,00,000/- (बीस लाख रूपये) जरिये चेक नम्बर 147152 दिनांक 07.09.2015 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा शिवपुर वाराणसी द्वारा

6645

21-1-16

(10) श्री साई बाबा इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा० लि०

पेहोवा

पंकज

पंकज कुमार

4/2/014

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

82AC 506307

तृतीयपक्ष के खाते में दिया गया है जिसे प्रथमपक्ष ने तृतीयपक्ष से प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार प्रथमपक्ष को पूर्ण विक्रय मूल्य मु0 20,00,000/- (बीस लाख रूपया) द्वितीयपक्ष से समक्ष गवाहान प्राप्त कर लिया है, अब द्वितीय पक्ष के जिम्मे एक भी पैसा बाबत विक्रय मूल्य शेष नहीं रह गया है। यदि भविष्य में विक्रय मूल्य के बाबत प्रथम पक्ष या उसके जानिब कोई पैसे की मांग की जाती है तो वह इस विक्रयपत्र के आधार पर अवैध व शून्य होगा।

2. यह कि विक्रीत सम्पत्ति बिलकुल पाक व साफ है। कही बन्धक अथवा रेहन नही है। हर प्रकार के वारदेन से मुक्त है। कोई वाद या विवाद किसी न्यायालय या अधिकारी के यहा लम्बित या विचाराधीन नही है। विक्रीत सम्पत्ति बिलकुल पाक व साफ हालत में बेची जा रही है।

6646

21.1.16

(૭) શ્રી સાંઈબાબા ઈન્ડસ્ટ્રીઝ તેમના ભાગીદાર

પણીયા

પંકજ

4.2.2014

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

82AC 506308

3. यह कि विक्रीत सम्पत्ति पर से हम प्रथमपक्ष अपना कब्जा दखल हटाकर द्वितीयपक्ष उपरोक्त का वाकई तौर पर बहैसियत स्वामी कब्जा व दखल करा दिया है। विक्रीत सम्पत्ति में जो–जो हक व अधिकार हम प्रथमपक्ष को हासिल है वे सभी हक व अधिकार द्वितीयपक्ष को आज की तिथि से हासिल हो गये। इसमें हम प्रथमपक्ष व वारिसान व कायम मुकामान को कोई आपत्ति नही है न भविष्य में होगी।

4. यह कि विक्रीत सम्पत्ति का द्वितीयपक्ष जिस प्रकार चाहे उस प्रकार उपयोग व उपभोग करें इसमें हम प्रथमपक्ष व वारिसान प्रथमपक्ष व कायम मुकामान को न कोई आपत्ति है न आईन्दा होगी।

5. यह कि विक्रीत सम्पत्ति पर से द्वितीयपक्ष, प्रथमपक्ष का नाम खारिज कराकर उसके स्थान पर अपना नाम बहैसियत स्वामी के सरकारी

जयप्रकाशपाण्डेय

6647

21.1.16

(ग) श्री साई बाला इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०

पता दिया

पंकज

पंकज कुमार श्रीवास्तव

स्टाम्प विक्रेता

कलेक्ट्रेट कचहरी-इलाहाबाद

ला०नं० - 412/014

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

82AC 506309

अभिलेखों में तथा अन्य जहां कहीं भी आवश्यक हो अंकित करा लेवे तथा जो टैक्स आयद हो उसको अदा करके उसकी रसीद अपने नाम से हासिल किया करें। इसमें हम प्रथमपक्ष व वारिसान व कायम मुकामान को न कोई आपत्ति है न आइन्दा होगी।

6. यह कि विक्रीत सम्पत्ति के टाइटिल के बावत भविष्य में किसी तरीके का कोई विवाद उत्पन्न हो अथवा प्रथमपक्ष के स्वत्व स्वामित्व में कोई कमी होने के कारण द्वितीयपक्ष के कब्जे से पूर्ण या आंशिक भाग निकल जावें तो द्वितीयपक्ष को इस दस्तावेज के आधार पर यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह प्रथमपक्ष के जात व दीगर जायदाद से, वारिसान व कायम मुकामान से जर समन बैनामा मय खर्चा व खेसारा मय 2/-रू0 प्रति सैकड़ा प्रतिमाह की दर से मय ब्याज वसूल कर लेवें। इसमें हम प्रथमपक्ष व

6648

21.1.16

10) श्री साई बाबा इन्फ्रा डेवलेपमेन्ट प्रा० लि०

पहड़िया व०

पंकज कुमार श्रीवास्तव
स्टाम्प विक्रेता
कलेक्ट्रेट कचहरी-वाराणसी
ला०नं० 412/014

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH   82AC 506310

वारिसान प्रथमपक्ष व कायम मुकामान को न कोई आपत्ति है न आईन्दा होगी।

7. यह कि विक्रीत सम्पत्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति की नहीं है तथा विक्रीत सम्पत्ति कृषि भूमि है जो कृषि प्रयोज्य हेतु क्रय की जा रही है। विक्रीत सम्पत्ति नें कोई पम्पिंग सेट, कुआं, बाग इत्यादि स्थित नहीं है।

8. यह कि प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष भारत के नागरिक है।

9. यह कि विक्रीत सम्पत्ति चिन्हित मार्ग पर स्थित नहीं हैं तथा आबादी से 300 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रीत सम्पत्ति गांव सभा की सम्पत्ति नही है। 300 मीटर की त्रिज्या में कृषि कार्य होता है। विक्रीत सम्पत्ति राष्ट्रीय मार्ग, प्रान्तीय मार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है।

6649
21.10.16

(10) श्री साई बाबा इन्फ्रा डेवेलपमेंट प्रा॰ लि॰

पनोरिया

पैकप

कुमार
स्टाम्प विक्रेता
412/14

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

82AC 506311

विक्रीत सम्पत्ति वाराणसी–जौनपुर मार्ग से 1 किलो मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा मुख्य सडक से 700 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

10. यह कि तृतीयपक्ष का विक्रीत सम्पत्ति से कोई वास्ता सरोकार नहीं है सिर्फ द्वितीयपक्ष की संतुष्टि व इत्मिनान के लिए तृतीयपक्ष को इस विक्रय विलेख में बतौर पुष्टिकर्ता सम्मिलित किया जा रहा है।

11. यह कि विक्रीत सम्पत्ति के बावत प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष के हक में या अन्य किसी व्यक्ति के हक में कोई सट्टा इकरारनामा नही किया है।

12. यह कि विक्रीत सम्पत्ति को अर्बन सीलिंग एक्ट की धारा 10(3),10(5) से प्रभावित नहीं है। विक्रीत सम्पत्ति राज्य सरकार द्वारा न तो अधिगृहीत किया गया है और न ही अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव ही है।

6650
21.10.16

(व) श्री साईं बाबा इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा० लि०

पड़िया [illegible]

पेकन

पंकज कुमार श्रीवास्तव
स्टाम्प विक्रेता
कलेक्ट्रेट कचहरी-वाराणसी
ला०नं० - 412/014

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

82AC 506312

13. यह कि विक्रीत सम्पत्ति मुबलिग 20,00,000/- रूपये में बेची जा रही है किन्तु सरकारी निर्धारित दर मुबलिग 15,500/- रूपये प्रतिएयर की दर से 122.5 एयर का मूल्यांकन मुबलिग 18,98,750/- रूपये होता है, जिस पर 15 प्रतिशत यानि मु0 2,84,812/- रूपये अतिरिक्त जोड़ने पर कुल सरकारी मालियत मु0 21,83,562/- रूपये होता है, जिसके पूर्णांक मु0 21,84,000/- रूपये पर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से मु0 1,53,000/- रूपये का स्टाम्प देय है, सम्पूर्ण देय स्टाम्प में से मु0 1,52,850/- रूपये जरिये ई-स्टाम्प व शेष मु0 150/- रूपये स्टाम्प पेपर द्वारा अदा किया जा रहा है। जिसमें पुष्टिकर्ता का स्टाम्प शामिल है।

6651
21.1.16

(c) कोसमाई बाला इन्फ्रा डेवेलपर्स प्रा० लि०

पता पा० [illegible]

पंकज

पंकज कुमार श्रीवास्तव
स्टाम्प विक्रेता
कलेक्ट्रेट कचहरी-वाराणसी
लाइसेंस नं० - 412/014

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

82AC 506313

14. यह कि उभयपक्ष इस बैनामा दस्तावेज को भली भाँति पढ़ व पढ़वाकर सुन व समझकर, स्वस्थ चित्त व प्रसन्न मस्तिष्क से समक्ष गवाहान बिना किसी दबाव नाजायज के हस्ताक्षर बनाये कि प्रमाण रहें व वक्त जरूरत पर काम आवें।

<u>विवरण सम्पत्ति जो बेची जा रही है:-</u>

आराजी नम्बर 432/1 रकबा 122.5 एयर स्थित मौजा लुच्चेपुर, परगना अठ्गांवा, तहसील पिण्डरा, जिला वाराणसी, जो इस दस्तावेज के साथ संलग्न मानचित्र में लाल तिरछी लकीरों से प्रदर्शित किया गया है एवं जिसकी चतुर्दिक सीमायें निम्नलिखित है:-

[illegible] जयप्रकाशपाण्डेय [illegible]

6652
21.1.16

10) श्रीमाई लीला इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लि. पहाड़िया

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

82AC 506314

पूरबः– आराजी नं0 434 व बादूराम की जमीन।

पश्चिमः– जुज भाग आराजी।

उत्तरः– कच्चा चकरोड 10 कड़ी।

दक्षिणः– आराजी नं0 438

गवाहान–

1. पूरा नाम — आलोक कुमार उपाध्याय
   पिता का नाम राम प्यारे उपाध्याय
   पूरा पता नेवादा, नेवादा जौनपुर

आलोक कुमार

निरंकारिकुमार देवी जय प्रकाश पाण्डेय अम्बरीष चौबे

6653
21.1.16

10) श्री सांई बाबा इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा० लि०
पहड़िया वा०

पंकज
पंकज कुमार श्रीवास्तव
स्टाम्प विक्रेता
कलेक्ट्रेट कचहरी-वाराणसी
ला०नं० - 412/014

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

82AC 506315

14

2.

पूरा नाम अवधेश नारायण सिंह

पिता का नाम श्री रामबली सिंह

पूरा पता ग्रा०व पो०- सराय कुञ्जी
पिण्डरा वाराणसी।

तहरीर दिनांक- 21.01.2016

राम प्रकाश पाण्डेय

अम्बरीष चौ०

नि० कु० मिथुना देवी

6654
21.1.16

10) श्री साई बाबा इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा० लि०
पहाड़िया

पंकज

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

82AC 506286

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15

मसविदाकर्ता:- बिपिन कुमार सिंह

, एडवोकेट

कलेक्ट्रेट कोर्ट, वाराणसी।

टाइपकर्ता :-

मनोज इलेक्ट्रोस्टेट

कलेक्ट्रेट कोर्ट वाराणसी।

6625

21-1-016

पंकज

पंकज कुमार श्रीवास्तव
स्टाम्प विक्रेता
कलेक्ट्रेट कचहरी-वाराणसी
लाइसेंस 412/014

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

82AC 506287

नक्शा नजरी

आराजी नम्बर 432/1 रकबा 122.5 एयर स्थित मौजा लुच्चेपुर, परगना अठ्गांवा, तहसील पिण्डरा, जिला वाराणसी

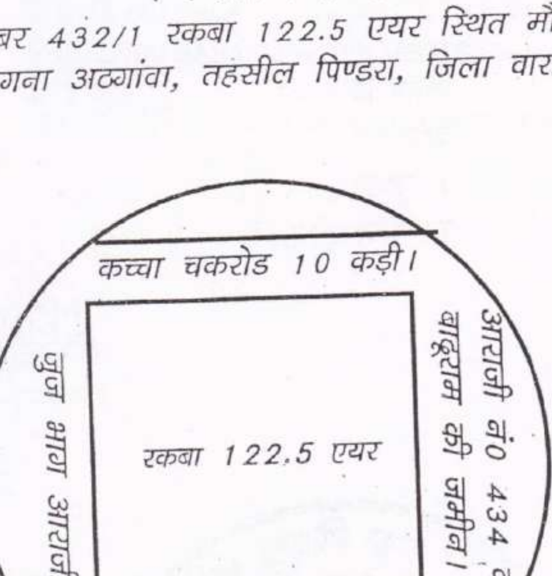

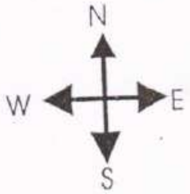

Drafted by
Manoj Electrostate
C.B.A. Building

6626

15 21-1-016

पंकज

[illegible] श्रीवास्तव
[illegible]
कलेक्ट्रेट [illegible]
[illegible] 412/014

आज दिनांक.....21-1-16.........की फोटो स्टेट प्रति
बही सं०.........1.........3148........
के पृष्ठ.....19/52.................................
पर रजिस्ट्रीकरण किया गया 181

AKUMAR
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
पिण्डरा-वाराणसी